

चारित्र्य और राष्ट्रनिर्माण

मो. क. गांधी





चारित्र्य और राष्ट्रनिर्माण

गांधीजी

संक्षिप्त व संपादन

वालजी गोविन्दजी देसाई

पहली आवृत्ति, २००४

ISBN 81-7229-342-9

मुद्रक व प्रकाशक

विवेक जितेंद्र देसाई

नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-३८० ०१४

फोन ; ०७९ - २७५४०६३५, २७०४२६३४

E-mail : sales@navajivantrust.org

Website : www.navajivantrust.org



प्रस्तावना

मंगलप्रभात, सत्याग्रह आश्रमका इतिहास और रचनात्मक कार्यक्रम, उसका रहस्य और स्थानके इस सारांशको मैंने देख लिया है। इसकी खुबी यह है कि यह सारांश है फिर भी मुझे उसमें कोई अधूरापन नहीं लगा है।

पूना, जुलाई २९, १९४६

मो. क. गांधी



पाठकोंसे

मेरे लेखोंका मेहनतसे अध्ययन करनेवालों और उनमें दिलचस्पी लेने वालोंसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे हमेशा एक ही रूपमें दिखाई देनेकी कोई परवाह नहीं है। सत्यकी अपनी खोज में मैंने बहुत - से विचारोंको छोड़ा है और अनेक नई बातें मैं सीखा भी हूँ। उमरमें भले मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा आन्तरिक विकास होना बन्द हो गया है या देह छूटनेके बाद मेरा विकास बन्द हो जायगा। मुझे एक ही बातकी चिंता है, और वह है प्रतिक्षण सत्य-नारायणकी वाणीका अनुसरण करनेकी मेरी तत्परता । इसलिए जब किसी पाठकको मेरे दो लेखोंमें विरोध जैसा लगे, तब अगर उसे मेरी समझदारीमें विश्वास हो तो वह एक ही विषय पर लिखे दो लेखोंमें से मेरे बादके लेखको प्रमाणभूत माने।

हरिजनबन्धु, ३०-४-१९३३

गांधीजी



अनुक्रमणिका

आश्रमके व्रतोंकी रूपरेखा

प्रस्तावना	८. अस्पृश्यता-निवारण
१. सत्य	९. जातमेहनत
२. अहिंसा	१०. सर्वधर्म समभाव-१
३. ब्रह्मचर्य	सर्वधर्म समभाव-२
४. अस्वाद	११. स्वदेशी-व्रत
५. अस्तेय	परिशिष्ट १ नम्रता
६. अपरिग्रह	परिशिष्ट २ व्रतकी जरूरत
७. अभय	

रचनात्मक कार्यक्रमकी रूपरेखा

प्रस्तावना	११. प्रान्तीय भाषाएँ
१. कौमी एकता	१२. राष्ट्रभाषा
२. अस्पृश्यता-निवारण	१३. आर्थिक समानता
३. शराबबन्दी	१४. किसान
४. खादी	१५. मजदूर
५. दूसरे ग्रामोद्योग	१६. आदिवासी
६. गाँवोंकी सफाई	१७. कोठी
७. नयी या बुनियादी तालीम	१८. विद्यार्थी
८. बडोंकी तालीम	सविनय कानून-भंगका स्थान
९. स्त्रियाँ	उपसंहार
१०. आरोग्यके नियमोंकी शिक्षा	परिशिष्ट पशु-सुधार



इस पुस्तिका का मेटर 'मंगलप्रभात', 'सत्याग्रह आश्रमका इतिहास' और 'रचनात्मक कार्यक्रम' में से संपादित किया गया है। पुस्तिकामें दिये गये संदर्भके लिए उपयोगमें ली गई पुस्तिकाओंके संक्षिप्तिकरणकी जानकारी नीचे दी है :

१. मंगल-प्रभात : मं. प्र.

२. सत्याग्रह आश्रमका इतिहास : स० आ० इ०,

३. रचनात्मक कार्यक्रम - उसका रहस्य और स्थान : र० का०।

तीनों के प्रकाशक : नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, पो. नवजीवन, अहमदाबाद ३८० ०१४



आश्रमके व्रतोंकी रूपरेखा



अहिंसा	सत्य	अस्तेय	ब्रह्मचर्य	असंग्रह ॥
२	१	५	३	६
सर्वधर्मसमानत्व		स्वदेशी	न	अस्पृश्यता ॥
१०		११	८	
शरीरश्रम	अस्वाद	अभय	व्रत	आश्रमे ॥
९	४	७		



१. सत्य

सत्य ही परमेश्वर है।

(मं. प्र. पृ. ७)

इस सत्यकी भक्तिके खातिर ही हमारी हस्ती हो। सत्यके बगैर किसी भी नियमका शुद्ध पालन नामुमकिन है।

(मं. प्र. पृ. ८)

विचारमें, बोलनेमें और बर्तावमें सच्चाई ही सत्य है।

(मं. प्र. पृ. ८)

लेकिन सत्यको, जो पारसमणि जैसा है, जो कामधेनु जैसा है, कैसे पाया जाय? उसका जवाब भगवानने दिया है: अभ्याससे और बैरागसे। सत्यकी ही चटपटी अभ्यास है; उसे छोड़कर दूसरी सब चीजोंके बारेमें बिलकुल उदासीनता -लापरवाही बैराग है।

(मं. प्र. पृ. ९)

फिर भी हम देखते रहेंगे कि जो एक आदमीके लिए सत्य है, वह दूसरेके लिए असत्य है। इससे घबरानेका कोई कारण नहीं है। ...क्योंकि सत्यकी खोजके पीछे तपस्या होनेसे खुदको दुःख सहना होता है, उसके पीछे मर मिटना होता है।... ऐसी निःस्वार्थ खोज करते हुए आज तक कोई गलत रास्ते आखिरी हद तक नहीं गया। गलत रास्ते गया कि उसे ठेस लगती ही है; और फिरसे वह सीधी राह पर आ जाता है।... उसमें हार जैसी कोई बात ही नहीं है। वह तो मरकर जीनेका मंत्र है।

(मं. प्र. पृ. ९)

वह सत्यरूप परमेश्वर मेरे लिए रत्न-चिंतामणि (मनचाहा देनेवाला तिलस्माती रत्न) साबित हुआ है; हम सबके लिए वह वैसा ही साबित हो।

(मं. प्र. २००३, पृ. १०)



२. अहिंसा

सत्य है। वही है। वही एक परमेश्वर है। उसका साक्षात्कार – दीदार करनेका एक ही मार्ग, एक ही साधन अहिंसा है। बगैर अहिंसाके सत्यकी खोज नामुमकिन है।

सत्यका, अहिंसाका रास्ता जितना सीधा है उतना ही संकरा-तंग है; तलवारकी धार पर चलने जैसा है। ...जरा भी गफलत हुई कि नीचे गिरे ही समझो। पलपलकी साधना से ही उसके दर्शन हो सकते हैं।

(मं. प्र. २००३, पृ. ११)

इस व्रतको पालनेके लिए इतना ही खाफी नहीं है कि प्राणियोंकी हत्या न की जाय। इस व्रतका पालनेवाला घोर अन्यायी पर भी क्रोध न करे, लेकिन उस पर प्रेम रखे, उसका भला चाहे और भला करे। लेकिन प्रेम करते हुए भी अन्यायीके अन्यायसे दबे नहीं, बल्कि उसका सामना करे, और ऐसा करनेमें वह जो भी तकलीफें दे, उन्हें धीरजके साथ और अन्यायीसे द्वेष किये बिना, सहन करे।

(सत्या०आ० इति० पृ. ७४, १९५९)

यह अहिंसा आज हम जिसे मोटे तौर पर समझते हैं सिर्फ वही नहीं है। किसीको कभी नहीं मारना, यह तो अहिंसा है ही। तमाम खराब विचार हिंसा है। जल्दबाजी हिंसा है। झूठ बोलना हिंसा है। द्वेष, बैर-डाह हिंसा है। किसीका बुरा चाहना हिंसा है। जिस चीजकी जगतको जरूरत है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है।

(मं. प्र. पृ. १३)

अहिंसाको हम साधन यानी जरिया मानें, और सत्यको साध्य यानी मकसद। साधन हमारे बसकी बात है, इसलिए अहिंसा परम धर्म हई और सत्य परमेश्वर हुआ। साधनकी फिक्र अगर हम करते रहेंगे, तो साध्यके दर्शन हम किसी न किसी दिन जरूर करेंगे।

(मं. प्र. जनवरी २००३, पृ. १४, १५)



३. ब्रह्मचर्य

हम अहिंसाके पालनको लें, तो उसका पूरा-पूरा अमल करना ब्रह्मचर्यके बिना नामुमकिन है।

(मं. प्र. २००३, पृ. १६)

इतना ही काफी नहीं है कि ब्रह्मचारी किसी स्त्री या पुरुषको बुरी नजरसे न देखे, लेकिन मनसे भी विषयोंका चिंतन या भोग न करे। यदि वह विवाहित हो तो अपनी पत्नी या अपने पतिके साथ भी विषय-भोग न करे; उसे अपना मित्र समझकर उससे निर्मल संबंध रखे ! किसीके भी विकारमय स्पर्शसे या उसके साथ विकारमय बातचीतसे या अन्य विकारमय चेष्टासे भी स्थूल ब्रह्मचर्यका भंग होता है।

(सत्या. आ. इति. पृ. ७४, १९५९)

इरादतन् भोग विलासके लिए वीर्यको गँवाना और शरीरको निचोना यह कितनी बेवकूफी है ? वीर्यका उपयोग दोनोंकी शरीर और मनकी शक्तिको बढ़ानेके लिए है। विषय-भोगमें उसका उपयोग करना, उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग है, और इसलिए वह बहुतसी बीमारियोंका मूल होता है।

(मं. प्र. २००३, पृ. १७)

मनको विकारवाला रहने देना और शरीरको दबानेकी कोशिश करना इसमें नुकसान ही हैं।

(ऐजन् पृ. १८)

मनको विकारवश होने देना एक बात है; मन अपने आप, बगैर इच्छाके, जबरन विकारवाला हो जाय या हुआ करे यह दूसरी बात है। उस विचारमें अगर हम मददगार नहीं, तो आखिर हमारी जीत ही है।

(ऐजन् पृ. १८)



तमाम विषयों पर रोक, काबू ही ब्रह्मचर्य है। जो दूसरी इन्द्रियोंको जहाँ-तहाँ भटकने देता है और एक ही इन्द्रियको रोकनेकी कोशिश करता है, वह बेकार कोशिश करता है, इसमें क्या शक है ?

(ऐजन् पृ. १८)

ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मकी-सत्यकी खोजमें चर्या यानी उसके मुताल्लिक आचार-बर्ताव। इस मूल अर्थमेंसे सब इन्द्रियोंका संयम: यह विशेष अर्थ निकलता है। सिर्फ जननेन्द्रियका संयम ऐसा अधूरा अर्थ तो हम भूल ही जाय।

(ऐजन् पृ. २०)



४. अस्वाद

मेरा अनुभव है कि अगर मनुष्य इस व्रतमें पार उतर सके, तो ब्रह्मचर्य यानी इन्द्रियोंका संयम बिलकुल सहल हो जाय।

(मं. प्र. २००३, पृ. २०)

भोजन सिर्फ शरीरको जिन्दा रखनेके लिए और सेवाके लिए तैयार रखनेके लिए करना चाहिये। भोग विलासके लिए नहीं। इसका मतलब यह है कि उसे दवाई समझकर, संयमके साथ खाना चाहिये। इस व्रतके पालनेवालेको विकार पैदा करनेवाले मसाले वगैरा पदार्थोंका त्याग करना चाहिये। मांस, तंबाखू, शराब, भांग इत्यादि चीजोंके उपयोगकी आश्रममें मनाही है। इस व्रतमें स्वादके लिये दावत करने या भोजनका आग्रह करनेकी मनाही है।

(सत्या. आ. इति. १९४९, पृ. ७५)

सबकी रसोई बनानेवाले हमारा बोझ हलका करते हैं। वे हमारे व्रतके रखवाले बनते हैं। वे स्वाद करानेकी दृष्टिसे कुछ भी नहीं बनायेंगे, सिर्फ समाजके शरीरके पोषणके लिये ही खाना पकायेंगे।

(मं. प्र. २००३, पृ. २४)

आदर्श दशामें आगकी जरूरत कमसे कम या बिलकुल ही नहीं है। सूरजके रूपमें महा अग्नि जो चीजें पकाती है, उन्हींमें से अपने खाने लायक चीजें हमें खोज निकालना चाहिये। और इस तरह सोचने पर मनुष्य-प्राणी सिर्फ फल खानेवाला है ऐसा साबित होता है।

(मं. प्र. २००३, पृ. २५)



५. अस्तेय

बगैर इजाजत किसीका कुछ लेना यह तो चोरी है ही। लेकिन जिसे अपना माना है उसकी भी चोरी इन्सान करता है, जैसे कोई बाप अपने बच्चोके न जानते हुए, उनको न जतानेके इरादेसे, चोरी-चुपके कोई चीज खा लेता है।

(मं. प्र. २००३, पृ. २६)

अपना कमसे कम जरूरतसे अधिक मनुष्य जो कुछ भी लेता है वह चोरीका ही लेता है।

(सत्या. आ. इति. १९५९, पृ. ७५)

अस्तेयका व्रत पालनेवाला एके बाद एक अपनी हाजतें कम करता जायेगा। इस जगतमें बहुतसी कंगाली असत्येके भंगसे पैदा हुई है।

(मं. प्र. २००३, पृ. २७)

मनसे हम किसीकी चीज पानेकी इच्छा करें या उस पर बुरी नजर डालें यह चोरी है।

(ऐजन् पृ. २८)



६. अपरिग्रह

जैसे अनावश्यक चीज ली नहीं जा सकती, वैसे उसका संग्रह भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि जिस अन्न या साज-सामानकी जरूरत न हो, उसका संग्रह करना इस व्रतका भंग करना है। कुर्सी बिना जिसका काम चल सकता है, उसे कुर्सी रखनी ही न चाहिये। अपरिग्रहीको अपना जीवन हमेशा सादा बनाते रहना चाहिये।

(सत्या. आ. इति. १९५९, पृ. ७५-६, १९५९)

परमात्मा परिग्रह नहीं करता। अपने लिये जरूरी चीज वह रोजकी रोज पैदा करता है।

(मं. प्र. २००३, पृ. २९)

सब लोग अगर अपनी जरूरतकी चीजोंका ही संग्रह करें, तो किसीको तंगी महसूस न हो और सबको संतोष हो।

(मं. प्र. २००३, पृ. ३०)

सही सुधार, सच्ची सभ्यताका लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि सोच-समझकर और अपनी इच्छासे उसे कम करना है। ज्यों ज्यों हम परिग्रह घटाते जाते हैं, त्यों त्यों सच्चा सुख और सच्चा संतोष बढ़ता जाता है, सेवाकी शक्ति बढ़ती जाती है।

(मं. प्र. २००३, पृ. ३१)

जो विचार हमें ईश्वरसे विमुख करते हैं, फेर लेते हैं या ईश्वरकी ओर नहीं ले जाते, वे सब परिग्रहमें गिने जायेंगे और इस लिए छोड़ने लायक हैं।

(मं. प्र. २००३, पृ. ३२)



७. अभय

जो सत्यपरायण रहना चाहते हैं, वे न जात-पाँतसे डरें, न सरकारसे डरें, न चोरसे डरें, न गरीबीसे डरें और न मौतसे डरें।

(सत्या० आ० इति० १९५९, पृ. ७७)

इसकी (अभयकी) गिनती गीताजीके सोलहवें अध्यायमें दैवी संपत्का जिक्र करते हुए भगवानने प्रथम की है। ...बिना अभयके सत्यकी खोज कैसे हो ? बिना अभयके अहिंसाका पालन कैसे हो ? 'हरिनो मारग छे शूरानो, नहीं कायरनुं काम जोने' (हरिका मार्ग शूरका मार्ग है, उसमें कायरका काम नहीं) सत्य ही हरि, वही राम, वही नारायण, वही वासुदेव है। कायर यानी डरा हुआ, बुजदिल; शूर यानी भयसे मुक्त, तलवार वगैरसे लेस नहीं। तलवार बहादुरकी निशानी नहीं है, वह डरपोककी निशानी है।

(मं. प्र. २००३, पृ. ३४)

सत्यकी खोज करनेवालेको इन सब भयोंको छोडे सिवा चारा नहीं। हरिशुंद्रकी तरह बरबाद होनेकी उसकी तैयारी होनी चाहिये।

(ऐजन् पृ. ३४-५)

हमें बाहरी भयोंसे मुक्ति पानी है। अन्दर जो दुश्मन हैं उनसे तो डर कर ही चलना है। काम, क्रोध वगैराका भय-सच्चा भय है। उन्हें जीत लें तो बाहरी भयोंकी परेशानी अपने आप मिट जायगी। ...पैसेमेंसे, कुटुम्बमेंसे, शरीरमेंसे 'मेरा'पन हम निकाल दें, तो भय कहाँ रह जाता है ? तेन त्यक्तेन भुंजीथा : (उसे तजकर भोगो) यह रामबाण वचन है।

(ऐजन् पृ. ३५)



८. अस्पृश्यता-निवारण

छूतछातमें धर्म नहीं, बल्कि अधर्म है।

(सत्या० आ० इ० १९५९, पृ. ७७)

अगर आत्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है, तो अछूत कोई नहीं।

(मं. प्र. २००३, पृ. ३७)

इसलिये जो (हिन्दू) उसे पाप मानता है, वह उसका प्रायश्चित्त करे, और कुछ नहीं तो प्रायश्चित्तके तौर पर ही, समझदार हिन्दू अपना धर्म समझकर, हरएक अछूत माने जानेवाले भाई या बहनको अपनावे; प्रेमसे और सेवाभावसे उसे छुए, छूकर अपनेको पावन हुआ माने, 'अछूतों'के दुःख दूर करे। वे बरसोंसे कुचले गये हैं, इसलिए उनमें अज्ञान वगैरा जो दोष आ गये हैं, उन्हें धीरजसे दूर करनेमें उनकी मदद करे।

(ऐजन् २००३, पृ. ३८)

कुछ लोग तो छुआछूतको पालते पालते इस पृथ्वी पर भाररूप हो गये हैं।

(ऐजन् २००३, पृ. ३९)

अछूतपनेको निवारना जो सच्चे रूपमें चाहता है वह आदमी सिर्फ अछूतोंको अपनाकर संतोष नहीं मानेगा; जब तक वह तमाम जीवोंको अपनेमें नहीं देखता और अपनेको तमाम जीवों पर निछावर नहीं कर देगा, तब तक वह शान्त होगा ही नहीं। अछूतपनेकी नाबूदी करना यानी तमाम जगतके साथ दोस्ती रखना, उसका सेवक बनना।

(मं. प्र. २००३, पृ. ३९)

तमाम जीवोंके साथका भेद मिटाना, अछूतपना मिटाना है।

(ऐजन् पृ. ३९)

जातपाँतसें हिंदू धर्मको नुकसान हुआ है। उसमें रही छुआछूत और ऊँचनीचकी भावना अहिंसाधर्मको नुकसान पहुँचानेवाली है।



(सत्या. आ. इ. १९५९, पृ. ७७)

वर्णव्यवस्था सिर्फ धन्धेके संबंधमें है। इसलिए जो वर्ण-नीतिको पालता है, उसे अपने मातापिताके धन्धेसे रोज़ी पैदा करके बाकीका समय ज्ञान प्राप्त करने और उसे बढ़ानेमें खर्च करना चाहिये।

(सत्या. आ. इ. १९५९, पृ. ७७)



९. जातमेहनत

व्यक्ति जब अपनी जीविका अपनी मेहनतसे चलाये, तब ही वह समाज-द्रोह और खुदके द्रोहसे बच सकता है। जिसका शरीर काम कर सकता है और जो समझदार हो गया है, उस स्त्री-पुरुषको अपना हररोजका निबटाने लायक काम खुद निबट लेना चाहिये। और बिना कारण दूसरोंकी सेवा न लेनी चाहिये। लेकिन बच्चोंकी, अपंगोंकी और बूढ़े स्त्रीपुरुषोंकी सेवाका मौका आये, तब उनकी सेवा करना सामाजिक जिम्मेदारी समझनेवाले हर मनुष्यका धर्म है।

(सत्या० आ० इ० १९५९, पृ. ७६)

जो मजदूरी नहीं करता उसे खानेका क्या हक है ?

(मं. प्र. २००३, पृ. ४१)

हरएक को खुदका भंगी तो बन ही जाना चाहिये। ...जो आदमी टट्टी फिरता है वही अपनी टट्टीको ज़मीनमें गाड दे, यह उत्तम रिवाज है। अगर यह नहीं ही हो सके, तो प्रत्येक कुटुम्ब अपना यह फर्ज अदा करे। जिस समाजमें भंगीका अलग पेशा माना गया है, वहाँ कोई बड़ा दोष पैठ गया है, ऐसा मुझे तो बरसोंसे लगता है। ...हम सब भंगी हैं, यह भावना हमारे मनमें बचपनसे ही जम जानी चाहिये; और उसका सबसे आसान तरीका यह है कि जो लोग समझ गये हैं, वे जातमेहनतका आरंभ अपने पाखाने सफ़ाईसे करें।

(मं. प्र. २००३, पृ. ४२-४३)

अगर कुदरतके कानूनका भंग न किया जाय, तो बूढ़े अपंग नहीं बनेंगे; और उन्हें बीमारी तो होगी ही क्यों ?

(मं. प्र. ऐजन् पृ. ४३)



१०. सर्वधर्म समभाव-१

संसारमें जितने भी प्रचलित प्रख्यात धर्म हैं, वे सब सत्यको प्रगट करते हैं। लेकिन वे सब अपूर्ण मनृष्य द्वारा व्यक्त हुए हैं। इसलिए उन सबमें असत्यका भी मिश्रण हो गया है। इसलिए उन सबमें असत्यका भी मिश्रण हो गया है। इसका मतलब यह कि हममें जितना अपने धर्मके लिए मान हो, उतना ही मान दुसरोके धर्मोके लिए भी होना चाहिये। जहाँ ऐसी सहिष्णुता हो वहाँ न तो एक-दूसरेके धर्मका विरोध पैदा होता है, न दूसरे धर्मवालेको अपने धर्ममें लानेकी कोशिश की जाती है। परन्तु सब धर्मोके दोष दूर हों ऐसी प्रार्थना करना तथा ऐसी भावनाका पोषण करना उचित माना जाता है ।

(सत्या. आ. इ. १९५९, पृ. ७७)

अगर हम अपूर्ण हैं तो हमारी कल्पनाका धर्म भी अपूर्ण है। .. और अगर आदमीके माने हुए सब धर्मोको हम अपूर्ण मानें, तो फिर फिसीको ऊँचा या नीचा माननेकी बात ही नहीं रहती। सब धर्म सच्चे हैं, लेकिन सब अपूर्ण हैं, इसलिए उनमें दोष हो सकते हैं। समभाव होने पर भी हम उनमें (सब धर्मोमें) दोष देख सकते हैं। अपने धर्ममें भी हम दोष देखें। इन दोषोके कारण उसे (अपने धर्मको) हम छोड़ न दें, लेकिन उसके दोषोको मिटायें। अगर इस तरह हम समभाव रखें, तो दुसरे धर्मोमेंसे जो कुछ लेने लायक हो, उसे अपने धर्ममें जगह देनेमें हमें हिचकिचाहट नहीं होगी; इतना ही नहीं बल्कि ऐसा करना हमारा फर्ज हो जायेगा।

(मं. प्र. २००३, पृ. ४४-४५)



सर्वधर्म समभाव-२

यहाँ धर्म-अधर्मका भेद नहीं मिटता। यहाँ तो जिन धर्मों पर मुहर लगी हुई हम जानते हैं उनकी बात है। इन सब धर्मोंमें मूल सिद्धांत-बुनियादी उसूल तो एक ही है।

(मं. प्र. २००३, पृ. ४६)

तब सवाल यह उठता है कि बहुत से धर्म किस लिए ? धर्म बहुतस हैं यह हम जानते हैं। आत्मा एक है, लेकिन मनुष्यदेह अनगिनत हैं। देहोंका यह अनगिनतपन टाले नहीं टलता। ... धर्मका मूल एक है, जैसे पेडका हो; लेकिन उसके पत्ते अनगिनत हैं।

(ऐजन् २००३, पृ. ४६)

दूसरोंकी गलतीके खातिर भी हमें उन्हें दुःख नहीं देना है, खुद ही भुगतना है, यह सुनहला नियम जो पालता है, वह सब संकटोंसे उबर जाता है।

(ऐजन् २००३, पृ. ४९)



११. स्वदेशी-व्रत

स्वदेशी-व्रत इस युगका एक महाव्रत है।

(मं. प्र. २००३, पृ. ५४)

अपने पासके लोगोंकी सेवामें लगे रहना, ओतप्रोत होना यह स्वदेशी धर्म है। ... ऐसी सेवा करनेमें दूरके लोग रह जाते हैं, या उनको नुकसान पहुँचता है, ऐसा आभास होनेका संभव है। ...इससे उलटा दूरके लोगोंकी सेवा करनेका मोह रखनेसे वह तो होती नहीं और पड़ोसीकी सेवा भी रह जाती है।

(ऐजन् पृ. ५५)

जहाँ तक हमसे बन सके हमें अपने पड़ोसकी दुकानसे व्यवहार करना चाहिये। जो चीजे अपने देशमें बनती हो या आसानीसे बन सकती हो, वह हमें परदेशसे नहीं मँगानी चाहिये।

(सत्या. आ. इति. १९५९, पृ. ७६)

स्वदेशीमें स्वार्थका स्थान नहीं है। व्यक्तिको कुटुम्बके, कुटुम्बको शहरके, शहरको देशके तथा देशको जगतके कल्याणके लिए कुर्बान हो जाना चाहिये।

(ऐजन् १९५९, पृ. ७६)

स्वदेशीको न समझनेसे ही गडबडी पैदा होती है। कुटुम्ब पर मोह रखकर मैं उसे झूठा लाडप्यार करूँ, उसके खातिर धन चुराऊँ, दूसरी चालें चलूँ यह स्वदेशी नहीं है।

(मं. प्र. २००३, पृ. ५५)

मान लीजिये कि मेरे गाँवमें महामारी फैली है। उस बीमारीमें फँसे हुए लोगोंकी सेवामें मैं अपनेको, अपनी पत्नीको, पुत्रोको और पुत्रियोंको अगर लगाऊँ और उस बीमारीमें फँसकर सब मौतकी शरणमें चले जायें, तो मैंने कुटुम्बका नाश नहीं किया, मैंने उसकी सेवा की है।

(ऐजन् २००३, पृ. ५६)



मैंने अपने आपसे पूछा कि इस देशमें इस युगमें सबको पालनेकी बहुत जरूरत हो, सज समझ सकें जिसके सहज पालनसे भी हिंदुस्तानके करोड़ों अधभूखे भाईबहनोंकी रक्षा हो सकती है ऐसा कौनसा स्वदेशी धर्म है ? जवाब मिला चरखा या खादी।

(ऐजन् पृ. ५६-७)

इस धर्मके पालनसे परदेशी या हिन्दुस्तानके मिलवालोंका नुकसान होता है ऐसा कोई न माने। अगर चोरको चुराई हुई चीज लोटानी पड़ी या चोरी करनेसे रोका गया, तो उसमें उसे नुकसान नहीं है, लाभ है। ...अगर दुनियामेंसे शराबखोर और अफीमके व्यसनी शराब पीना या अफीम खाना छोड़ दें, तो उससे कलालको या अफीमके दुकानदारको नुकसान नहीं लाभ है।

(मं. प्र. २००३, पृ. ५७)

जो लोग चरखेसे जैसे-तैसे सूत कातकर और खादी पहन कर यह मान लेते हैं कि स्वदेशी-धर्मका पूरा पालन हो गया, वे बड़े मोहमें डूबे हुए हैं। ...ऐसे खादीधारी देखे गये हैं, जो और सब चीजें परदेशी खरीदते हैं। वे स्वदेशी धर्मका पालन नहीं करते। स्वदेशी व्रत का पालन करनेवाला हमेशा जहाँ जहाँ पडोसियोंकी सेवा की जा सके, यानी जहाँ उनके हाथोंका तैयार किया हुआ जरूरतका माल हो वहाँ दूसरा माल छोड़कर उसे लेगा। फिर भले ही स्वदेशी चीज पहले पहल महँगी और घटिया दरजेकी हो। व्रंतधारी उसे सुधारनेकी कोशिश करेगा; स्वदेशी चीज खराब है इसलिए परदेशी इस्तेमाल करने नहीं लग जायेगा!

(मं. प्र. २००३, पृ. ५७-५८)



परिशिष्ट १

नम्रता

नम्रता का माने है बिलकुल क्षय यानी मिट जाना। ...लेकिन अगर उस चक्करमेंसे हम निकल जायें यानी 'कुछ' नहीं हैं - बन जायें, तो सबकुछ हो जायें। 'कुछ' होना यानी ईश्वरसे - परमात्मासे - सत्यसे अलग होना। 'कुछ'का मिट जाना यानी परमात्मामें मिल जाना। समुद्रमें रही हुई बूंद समुद्रकी बडाईको भोगती है, लेकिन इसका उसे ज्ञान नहीं होता। ज्यों ही वह समुद्रसे अलग हुई और अपनेपनका दावा करने लगी उसी दम वह सुख गई।

(मं. प्र. २००३, पृ. ५१)



परिशिष्ट २

व्रतकी जरूरत

ईश्वर खुद निश्चयकी, व्रतकी संपूर्ण मूर्ति है। ...सूरज बड़ा व्रतधारी है। ...तमाम व्यापारका आधार एक टेक पर रहता है। तब फिर जहाँ अपना जीवन गढनेका सवाल हो, ईश्वर दर्शन करनेका प्रश्न हो, वहाँ व्रतके बगैर कैसे चल सकता है ?

(मं. प्र. २००३, पृ. ६१)

‘जहाँ तक हो सकेगा’ - यह वचन शुभ निश्चयोंमें जहर जैसा है।

(ऐजन् २००३, पृ. ६१)

जो आचरण पापरूप हो, उसके निश्चयको व्रत नहीं कहा जायेगा।

(ऐजन् २००३, पृ. ५९)



रचनात्मक कार्यक्रमकी रूपरेखा

१

अयं हिन्दुः अयं मुस्लिम् गणनां लघुचेतसाम् ।
अुदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥
हिन्दोः च मुस्लिमश्चेति केयं स्थानक (स्टेशन) घोषणा ॥

२

बान्धवाः मानवाः सर्वे अस्पृश्यो नास्ति कश्चन ॥

४

हस्तेन कर्तितं यत् स्यात् हस्तप्रोतं तथैव च ।
तद् वस्त्रं परिधातव्यं लोके खादीति कीर्तितम् ॥ १ ॥
खादीवस्त्रे हि निहितं भगिनीशीलरक्षणम् ।
खादीवस्त्रं अहिंसाया आधारो मूर्तिरेव च ॥ २ ॥
खादीमृत्यौ मृता ग्रामा ग्राममृत्यौ मृता दया ।
खाद्या धर्मे तथैवार्थे महासिद्धिर् भविष्यति ॥ ३ ॥
ग्रामनिर्मितवस्तूनि प्रयोक्तव्यानि नागरैः ।
भारतीया भविष्यन्ति ह्येतेन स्ववशाः समाः ॥ ४ ॥

दे. वा.

[गांधीजीप्रणीतग्रन्थानुसारेणैते श्लोका रचिताः ।]

३

अेकतः सर्वपापानि मद्यपानं तथैकतः ॥ चाणक्य ॥



प्रस्तावना

रचनात्मक कार्यक्रम ही पूर्ण स्वराज्य या मुकम्मिल आजादीको हासिल करनेका सच्चा और अहिंसक रास्ता है। उसकी पूरी पूरी सिद्धि ही संपूर्ण स्वतंत्रता है।

(रचनात्मक कार्यक्रम २००४, जान्यु० प्रस्तावना पृ. ५)

सविनय कानूनभंग या सत्याग्रह सशस्त्र विद्रोहका स्थान भलीभाँति ले सकता है। सत्याग्रहके लिए भी तालीमकी उतनी ही जरूरत है, जितनी सशस्त्र विद्रोहके लिए। सत्याग्रहमें तालीमका अर्थ है रचनात्मक कार्यक्रम या तामीरी काम।

(ऐजन् २००४, पृ. ६)

हिंसक लड़ाईमें सत्यका सबसे पहले और सबसे बड़ा बलिदान होता है; किन्तु अहिंसाकी लड़ाईमें वह सदा विजयी रहता है।

(ऐजन् २००४, पृ. ७)



१. क़ौमी एकता

मगर एकता या इत्तफ़ाक के सच्चा माने तो है वह दिली दोस्ती, जो किसीके तोड़े न टूटे।

(२० कार्य. २००४, पृ. १२)

सबसे पहली जरूरत इस बातकी है कि कांग्रेसजन, फिर वे किसी भी धर्मके माननेवाले हों, अपनेको हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी वगैरा सभी कौमोके नुमाइन्दा समझें। हिन्दुस्तानके करोड़ों बाशिन्दोंमेंसे हरएकके साथ वे अपनेपनेका - आत्मीयताका - अनुभव करें। इस तरहकी आत्मीयताको सिद्ध करनेके लिए हरएक कांग्रेसीको चाहिये कि वह अपने धर्मसे भिन्न धर्मका पालन करनेवाले लोगोंके साथ निजी दोस्ती कायम करे, और अपने धर्मके लिए उसके मनमें जैसा प्रेम हो, ठीक वैसा ही प्रेम वह दुसरे धर्मसे भी करे।

जब हमारी हालत ऐसी खुशगवार हो जायगी, तो आज रेलवे स्टेशनों पर 'हिन्दू चाय' और 'मुस्लिम चाय', 'हिन्दू पानी' और 'मुस्लिम पानी' की जो शरमानेवाली आवाजें हमें सुननी पड़ती हैं वे न सुननी पड़ेंगी।

(ऐजन् २००४, पृ. १२)

हम एक अरसेसे इस बातको माननेके आदि बन गये हैं कि आम जनताको सत्ता या हकूमत सिर्फ धारासभाओंके जरिये मिलती है। इस खयालको मैं अपने लोगोंकी एक गंभीर भूल मानता हूँ। सच बात यह है कि हकूमत या सत्ता जनताके बीच रहती है।.... जनतासे भिन्न या स्वतंत्र पार्लमेन्टोंकी सत्ता तो ठीक, हस्ती तक नहीं होती। सत्ताका असली भंडार या खजाना तो सत्याग्रहकी या सविनय काननूभंगकी शक्ति में है। एक समूचा राष्ट्र अपनी धारासभाके कानूनोंके अनुसार चलने से इनकार कर दे, और इस सिविल नाफरमानीके नतीजोंको बरदाश्त करनेके लिए तैयार हो जाय, तो सोचिये कि क्या होगा ? ऐसी जनता सरकारकी धारासभाको और उसके शासन-प्रबंधको जहाँ का तहाँ, पूरी तरह, रोक देगी। (ऐजन् १३-१४) लेकिन जब कोई समूचा राष्ट्र सब कुछ सहनेको तैयार हो जाता है, तो उसके दृढ़ संकल्पको डिगानेमें किसी पुलिसकी या फौजकी कोई जबरदस्ती काम नहीं देती।



२. अस्पृश्यता-निवारण

हरएक हिन्दूको यह समझना चाहिए कि हरिजनोंका काम उसका अपना काम है, और जिस अकुलानेवाली व भयानक अलहदगीमें उन्हें रहना पडता है, उसमें उनके साथ शामिल होना चाहिए।

(रचना. कार्य. २००४, पृ. १५-१६)



३. शराबबन्दी

शराब और अफीमके पंजेमें फसे हुए लोगोंको इन व्यसनोसे छुडानेके उपाय डोक्टरको ढूँढ निकालने होंगे।

स्त्रियों और विद्यार्थियोंके लिए सुधारके इस कामको आगे बढ़ानेका, यह एक खास मौका है। प्रेमपूर्वक की गई सेवाके जरिये ये लोग व्यसनियोके दिल पर इतना अधिकार जमा लेंगे कि बुरी आदतोंको छोड़नेके लिए इस प्रेमी सेवकों द्वारा की गई प्रार्थना उन्हें सुननी ही पडेगी।

राष्ट्रीय कांग्रेसकी समितियाँ आनंद विनोदके ऐसे केन्द्र या विश्रान्ति-गृह खोलें, जहाँ थके-माँदे मजदूर अपने अंगोंको आराम दे सकें, साफ़ और तंदुरस्ती बढ़ानेवाले पेय या नास्तेकी सस्ती चीजें पा सकें, और अपनी पसंद व पहुँचके खले-तमाशोंमें शरीक हो सकें।

(रचना. कार्य. २००४, पृ. २३)



४. खादी

खादीका मतलब है, देशके सभी लोगोंकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानताका आरंभ।....

हमें इस बातका दृढ़ संकल्प करना चाहिये कि हम अपने जीवनकी सभी जरूरतोंको हिन्दुस्तानकी बनी चीजोंसे और उनमें भी हमारे गाँवमें रहनेवाली आम जनताकी मेहनत और अक्कलसे बनी चीजोंके जरिये पूरा करेंगे।

(रचना० कार्य० २००४, पृ. १८, १९)

इसलिए अब तक जो सिद्धांत बना है, वह यह है कि हरएक गाँवको अपनी जरूरतकी सब चीजें खुद पैदा कर लेनी चाहिये और शहरोंकी जरूरतें पूरी करनेके लिए कुछ अधिक उत्पन्न करनी चाहिये।

(ऐजन्, पृ. २०)

यहाँ तो मैं इस संबंधमें कुछ खास खास नियम ही देता हूँ :

(१) जिन परिवारोंके पास ज़मीनका छोटा-सा भी टुकड़ा हो, उन्हें कमसे कम अपनी जरूरत जितनी कपास उगा लेनी चाहिये।.... हमारे किसानोंको अभी यह सीखना है कि अपनी जरूरतकी चीजोंकी खेती करना किसानका सबसे पहला फर्ज है।

(२) अगर कातनेवालेके पास अपनी निजकी कपास न हो तो उसे अपनी जरूरतके लायक कपास ओटनेके लिए खरीद लेना चाहिए। ओटनेका काम हाथ-चरखीकी मददके बिना भी बहुत आसानीसे हो सकता है। हर आदमीके लिए अेक पटिया और लोहेकी एक छोटी सलाख अपनी कपास ओटनेके लिए काफी है। जहाँ यह काम न हो सके, वहाँ कातनेवालेको हाथसे ओटी हुई रुई खरीदकर उसे धुनक लेना चाहिए। अपने कामके लायक पिंजाई छोटी धनुष-पींजन पर बिना ज्यादा मेहनतके अच्छी हो जाती है। ...धुनी हुई पुनियाँ बना लेने पर कताई शुरू हो सकती है। कताईके लिए मैं धनुष-तकुअेकी सिफारिश खास तौर पर करता हूँ। मैं चरखेके बदले धनुष-



तकुअेके इस्तेमाल पर इस लिए इतना जोर दे रहा हँ कि उसे बना लेना ज्यादा-आसान है । वह चरखेके मुकाबले सस्ता पडता है, और चरखेकी तरह बार-बार उसकी मरम्मत नहीं करनी पडती।

(रचना० कार्य० २००४, पृ. २२, २३, २४)

अब खयाल कीजिए कि कताई तकके अलग अलग कामोमें हमारा सारा देश अेकसाथ जुट जाय तो हमारे लोगोमें कितनी एकता पैदा हो जाय और उन्हें कितनी तालीम मिले ! यह भी सोचिये कि जब अमीर और गरीब सब एक ही तरहका काम करेंगे तो उसमें पैदा होनेवाली प्रीतिके बंधनोंसे बंधकर और आपसके भेदभावोंको भूलकर वे किस हद तक अेक-दूसरेके बराबर हो जायेंगे ?

(ऐजन् २००४, पृ. २५)



५. दूसरे ग्रामोद्योग

खादीके अभावमें उनकी कोई हस्ती नहीं और उनके बिना खादीका गौरव या शोभा नहीं। हाथसे पीसना, हाथसे कूटना और कछोरना साबुन बनाना, कागज़ बनाना, चमड़ा कमाना, तेल पेरना, दियासलाई बनाना, और इस तरहके सामाजिक जीवनके लिए जरूरी और महत्त्वके दूसरे धंधोके बिना गाँवोंकी आर्थिक रचना संपूर्ण नहीं हो सकती।

(रचना. कार्य. २००४, पृ. २६)

हरएक आदमीको, हर हिन्दुस्तानीको इसे अपना धर्म समझना चाहिए कि जब जब और जहाँ जहाँ मिले, वहाँ वह हमेशा गाँवोंकी बनी चीजें ही बरते... .. जब हम गाँवोंके लिए सहानुभूतिसे सोचने लगेंगे, और गाँवोंकी बनी चीजें हमें पसंद आने लगेंगी, तब पश्चिमकी नकलके रूपमें यंत्रोकी बनी चीजें हमें नहीं जचेंगी; और हम ऐसी राष्ट्रीय अभिरुचिका विकास करेंगे, जो गरीबी, भुखमरी और आलस्य या बेकारीसे मुक्त नये हिंदुस्तानके आदर्शके साथ मेल खाती होगी।

(ऐजन् २००४, पृ. २६, २७)



६. गाँवोंकी सफाई

देशमें जगह जगह सुहावने और मनभावने छोटे छोटे गाँवोंके बदले हमें घर जैसे गाँव देखनेको मिलते हैं। करीब करीब सभी गाँवोंमें धूसते समय जो अनुभव होता है, उससे दिलको खुशी नहीं होती। गाँवके बाहर और आसपास इतनी गंदगी होती है और वहाँ इतनी बदबू आती है कि अकसर गाँवमें जानेवालेको आँख मूँदकर और नाक दबाकर जान पडता है। ... हमारा फर्ज हो जाता है कि हम अपने गाँवोंको सब तरहसे सफाईके नमूने बनायें।

(ऐजन् २००४, पृ. २७)



७. नयी या बुनियादी तालीम

इस तालीमकी मंशा यह है कि गाँवके बच्चोंको सुधार-संवारकर उन्हें गाँवके आदर्श बाशिंदा बनाया जाय।... यह तालीम बालकके मन और शरीर दोनोंका विकास करती है; बालकको अपने वतनके साथ जोड़ रखती है; और उसे अपने और देशके भविष्यका गौरवपूर्ण चित्र दिखाती है; और उस चित्रमें देखे हुए भविष्यके हिंदुस्तानका निर्माण करनेमें बालक या बालिका अपने स्कूल जानेके दिनसे ही हाथ बँटाने लगे इसका इंतजाम करती है।

(रचना० कार्य० २००४, पृ. २८-२९)



८. बड़ोंकी तालीम

ग्रामवासियोंको इस बातका भी तो खयाल नहीं कि विदेशियोंकी जो हकूमत यहाँ कायम है, उसका एक कारण उनकी अपनी कमजोरियाँ और खामियाँ भी है; और दूसरे, वे यह भी नहीं जानते कि इस परदेशी हकूमतकी बलाको दूर करनेकी ताकत खुद उनमें है। इसलिये बड़ी उमरके अपने देशवासियोंकी शिक्षाका सबसे पहला अर्थ मैं यह करता हूँ कि उन्हें जबानी तौर पर यानी सीधी बातचीतके जरिये सच्ची राजनीतिक तालीम दी जाय।... इस जबानी तालीमके साथ साथ लिखने-पढनेकी तालीम भी चलेगी। इसके लिए खास लियाकतकी जरूरत है।

(ऐजन् २००४, पृ. ३०-३१)



९. स्त्रियाँ

सेवाके धर्मकार्यमें स्त्री ही पुरुषकी सच्ची सहायक और साथिन है। जितना और जैसा अधिकार पुरुषको अपने भविष्यकी रचनाका है उतना और वैसा ही अधिकार स्त्रीको भी अपना भविष्य तय करनेका है।

स्त्रीको अपना मित्र या साथी माननेके बदले पुरुषने अपनेको उसका स्वामी माना है।... इसलिए काँग्रेसवालोंका यह फर्ज है कि वे स्त्रियोंको उनकी मौलिक स्थितिका पूरा बोध करावें और उन्हें इस तरहकी तालीम दें, जिससे वे जीवनमें पुरुषके साथ बराबरीके दर्जेसे हाथ बँटाने लायक बनें।

(रचना० कार्य० २००४, पृ. ३२-३३)



१०. आरोग्यके नियमोंकी शिक्षा

- * हमेशा शुद्ध विचार करो और तमाम गन्दे व निकम्मे विचारोंको मनसे निकाल दो।
- * दिन-रात ताजीसे ताजी हवाका सेवन करो।
- * शरीर और मनके कामका तौल बनाये रखो, यानी दोनोंको बेमेल न होने दो।
- * तनकर खडे रहो। तनकर बैठो। अपने हर काममें साफसुथरे रहो। और इन सब आदतोंको अपनी आंतरिक स्वस्थताका प्रतिबिम्ब बनने दो।
- * खाना इसलिए खाओ कि अपने जैसे अपने मानवबंधुओंकी सेवाके लिए ही जिया जा सके। भोग भोगनेके लिए जीने और खानेका विचार छोड़ दो। अतएव उतना ही खाओ जितनेसे आपका मन और आपका शरीर अच्छी हालतमें रहे और ठीकसे काम कर सके। आदमी जैसा खाना खाता है, वैसा ही बन जाता है।
- * आप जो पानी पियें, जो खाना खायें और जिस हवामें साँस लें, वे सब बिलकुल साफ होने चाहिए। आप सिर्फ अपनी निज की सफाई देख संतोष न मानें, बल्कि हवा, पानी, और खुराककी जितनी सफाई आप अपने लिए रखें, उतना ही त्रिविध सफाईका शौक आप अपने आसपासके वातावरणमें भी फैलायें।

(रचना० कार्य० २००४, पृ. ३६)



११. प्रान्तीय भाषाएँ

अहिंसाकी बुनियाद पर रचे गये स्वराज्यकी चर्चामें यह बात शामिल है कि हमारा हरएक आदमी आजादीकी हमारी लडाईमें खुद स्वतंत्र रूपसे हाथ बँटाये। लेकिन अगर हमारी आम जनता लडाईके हर पहलू और उसकी हर सीढीसे परिचित न हो और उसके रहस्यको भलीभाँति न समझती हो, तो स्वराज्यकी रचनामें वह अपना हिस्सा किस तरह अदा करेगी ? और जब तक सर्वसाधारण अपनी बोलीमें लडाईके हर पहलू व कदमको अच्छी तरह समझाया नहीं जाता, उनसे यह उम्मीद कैसे की जाय कि वे उसमें हाथ बँटायेंगे ?

(ऐजन् २००४, पृ. ३७-३८)



१२. राष्ट्रभाषा

समूचे हिंदुस्तानके साथ व्यवहार करनेके लिए हमको भारतीय भाषाओंमेंसे एक ऐसी भाषाकी जरूरत है, जिसे आज ज्यादा से ज्यादा तादादमें लोग जानते और समझते हों और बाकीके लोग जिसे झट सीख सकें। इसमें शक नहीं कि हिन्दी ही ऐसी भाषा है।... यही भाषा जब उर्दू लिपिमें लिखी जाती है तो उर्दू कहलाती है। राष्ट्रीय काँग्रेसने सन १९२५ के अपने कानपुर अधिवेशनमें जो मशहूर प्रस्ताव पास किया था, उसमें सारे हिंदुस्तानकी इसी भाषाको हिन्दुस्तानी कहा है। ... इस राष्ट्रभाषाको हमें इस तरह सीखना चाहिये, जिससे हम सब इसकी दोनों शैलियोंको समझ और बोल सकें और इसे दोनों लिपियोंमें लिख सकें।

जितने साल हम अंग्रेजी सीखनेमें बुरबाद करते हैं उतने महीने भी अगर हम हिंदुस्तानी सीखनेको तकलीफ न उठायें, तो सचमुच कहना होगा कि जनसाधारणके प्रति अपने प्रेमकी जो डींगें हम हाँका करते हैं, वे नरी डींगें ही हैं।

(रचना. कार्य. २००४, पृ. ३८-३९)



१३. आर्थिक समानता

रचनात्मक कार्यक्रमका यह अंग अहिंसापूर्ण स्वराज्यकी मुख्य चाबी है।

(रचना. कार्य. २००४, पृ. ४०)

* अगर धनवान लोग अपने-अपने धनको और उसके कारण मिलनेवाली सत्ताको खुद राजी-खुशीसे छोड़कर और सबके कल्याणके लिए सबके साथ मिलकर बरतनेको तैयार न होंगे, तो यह तय समझिये कि हमारे देशमें हिंसक और खूँखार क्रान्ति हुए बिना न रहेगी।

राष्ट्रीय काँग्रेसमें धनवान काँग्रेसी भी हैं। इस मामलेमें पहल करके उन्हें औरोंको रास्ता दिखाना है।

(ऐजन् २००४, पृ. ५२)

हरएक काँग्रेसीको अपने आपसे यह सवाल पूछना है कि इस आर्थिक समानताकी स्थापनाके लिए उसने क्या किया है ?

(ऐजन् २००४, पृ. ४२)



१४. किसान

जो किसानों या खेतिहरोंको संगठित करनेका मेरे तरीका जानना चाहते हैं, उन्हें चंपारनके सत्याग्रहकी लड़ाईका अध्ययन करनेसे लाभ होगा। चंपारनका आंदोलन आम जनताका आंदोलन बन गया था और वह बिलकुल शुरूसे लेकर आखिर तक पूरी तरह अहिंसक रहा था। उसमें कुल मिलाकर कोई बीस लाखसे भी ज्यादा किसानोंका संबंध था। सौ साल पुरानी एक खास तकलीफको मिटानेके लिए यह लड़ाई छेडी गई थी। इसी शिकायतको दूर करनेके लिए पहले कई खूनी बगावतें हो चुकी थीं। किसान बिलकुल दबा दिये गये थे। मगर अहिंसक उपाय वहाँ छह महीनोंके अंदर पूरी तरह सफल हुआ। किसी तरहका सीधा राजनीतिक आंदोलन या राजनीतिके प्रत्यक्ष प्रचारकी मेहनत किये बिना ही चंपारनके किसानोंमें राजनीतिक जागृति पैदा हो गई। उनकी शिकायतको दूर करनेमें अहिंसाने जो काम किया उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जानेसे वे सब राष्ट्रीय काँग्रेसकी ओर खिंच आये और सत्याग्रहकी पिछली लडाइयोंमें उन्होंने अपनी ताकतका पूरा परिचय दिया।

इनके सिवा, खेडा, बारडोली और बोरसदमें किसानोंने जो लड़ाईयाँ लड़ीं, उनके अध्ययनसे भी पाठकोंको लाभ होगा। किसान संगठनकी सफलताका रहस्य इस बातमें है किसानोंकी अपनी जो तकलीफें हैं, जिन्हें वे समझते और बुरी तरह महसूस करते हैं, उन्हें दूर करानेके सिवा दूसरे किसी भी राजनीतिक हेतुसे उनके संगठनका दुरुपयोग न किया जाय।

(रचना . कार्य . २००४, पृ . ४३, ४४)



१५. मजदूर

अहमदाबादके मजदूर संघका नमूना समूचे हिंदुस्तानके लिए अनुकरणीय है। वह शुद्ध अहिंसाकी बुनियाद पर खडा किया गया है। अपने अब तकके कार्यकालमें उसे कभी पीछे हटनेका मौका नहीं आया। बिना किसी तरहके शोरगुल, धांधली या दिखावा किये ही उसकी ताकत बराबर बढ़ती गई है। उसका अपना अस्पताल है, मिलमजदूरोंके बच्चोंके लिए उसके अपने मदरसे हैं, बडी उमरके मजदूरोंको पढानेके क्लास हैं, उसका अपना छापखान और खादी-भंडार है, और मजदूरोंके रहनेके लिए उसने घर भी बनवाये हैं। अहमदाबादके करीब करीब सभी मजदूरोंके नाम मतदाताओंकी सूचीमें दर्ज है, और चुनावोंमें वे पुरअसर तरीकेसे हाथ बँटाते हैं।.... यह मजदूर-संघ काँग्रेसकी दलबन्दीवाली राजनीतिमें कभी शरीक नहीं हुआ। शहरकी म्युनिसिपैलिटीकी नीति पर संघवालोंका असर पडता है। संघ अब तक अनेक हडतालोंको अच्छी सफलताके साथ चला चुका है और ये सब हडतालें पूरी तरह अहिंसक रही हैं। यहाँके मजदूरों और मालिकोंने अपने आपसी झगडे मिटानेके लिए ज्यादातर अपनी राजीखुशीसे पंचकी नीति को स्वीकार किया है। मेरा बस चले तो मैं हिंदुस्तान की तमाम मजदूर संस्थाओंका संचालन अहमदाबादके मजदूर संघकी नीति पर करूँ।

(रचना . कार्य . २००४, पृ . ४६-४७)



१६. आदिवासी

'आदिवासी' शब्दका अक्षरशः अर्थ देशके असली निवासी होता है।

आदिवासियोंकी सेवा भी रचनात्मक कार्यक्रमका एक अंग है।

इससे कौन इनकार कर सकता है कि इस तरहकी तमाम सेवा महज (सिर्फ) भूतदयाकी भावनासे प्रेरित सेवा नहीं बल्कि ठोस राष्ट्रसेवा है, और वह हमें पूर्ण स्वराज्यके ध्येयके ज्यादा नजदीक ले जाती है।

(रचना . कार्य . २००४, पृ . ४७-४८-४९)



१७. कोठी

कोठियोंके धामके नाते मध्य आफ्रिकाके बाद दूसरा नंबर हिंदुस्तानका आता है। हममें जो सबसे श्रेष्ठ या चढ़ेबढ़े हैं, उन्हींकी तरह ये कोठी भी हमारे समाजके अंग हैं और जिन कोठियोंकी सार-सभालकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हींकी हमारे यहाँ जान-बूझकर उपेक्षा की जाती है।

अगर हिंदुस्तानमें सचमुच नवजीवनका संचार हुआ है, तो हिंदुस्तानमें एक भी कोठी या एक भी भिखारी वैसा न होना चाहिए जिसका नाम हमारे पास दर्ज न हो और जिसकी सार-संभाल हमने न ली हो।

(ऐजन् २००४, पृ. ४९-५०)



१८. विद्यार्थी

मैं शोध या अनुसंधानका जो काम कर रहा हूँ, उसमें शामिल होनेके लिए अपनी इस यूनिवर्सिटीमें भरती होनेका स्थायी निमंत्रण मैं उन्हें देता हूँ। उसमें भरती होनेके नियम इस प्रकार हैं :

(१) विद्यार्थियोंको दलबन्दीवाली राजनीतिमें कभी शामिल न होना चाहिए।

(२) उन्हें राजनीतिक हडतालें न करनी चाहिए। विद्यार्थी वीरोंकी पूजा चाहे करें, उन्हें करनी चाहिए। उनके प्रति अपनी भक्ति प्रगत करनेके लिए उन वीरोंके उत्तम गुणोंका अनुकरण करना चाहिए, हडताल नहीं। किसी भी हालतमें और किसी भी विचारसे उन्हें अपनेसे भिन्न मत रखनेवाले विद्यार्थियों या स्कूल कालेजके अधिकारियोंके साथ जबरदस्ती न करनी चाहिए।

(३) सब विद्यार्थियोंको सेवाकी खातिर शास्त्रीय तरीकेसे कातना चाहिए। कताईके अपने साधनों और दूसरे औजारोंको उन्हें हमेशा साफसुथरे, सुव्यवस्थित और अच्छी हालतमें रखने चाहिए। संभव हो तो वे अपने हथियारों, औजारों या साधनोंको खुद ही बनाना सीख लें। अलबत्त, उनका काता सूत सबसे बढ़िया होगा। कताई संबंधी सारे साहित्यका और उसमें छिपे आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक सब रहस्योंका उन्हें अध्ययन करना चाहिए।

(४) अपने पहनने-ओढनेके लिए वे हमेशा खादीका ही उपयोग करें, और गाँवोंमें बनी चीजोंके बदले परदेशकी या यंत्रोंसे बनी चीजोंको कभी न बरतें।

(५) वंदे मातरम् गाने या राष्ट्रीय झंडा फहरानेके मामलेमें दूसरों पर जबरदस्ती न करें।

(६) अपने दिलमें सांप्रदायिकता या अस्पृश्यताको घूसने न दें। दूसरे धर्मोवाले विद्यार्थियों और हरिजनोंको अपने भाई समझकर उनके साथ सच्ची दोस्ती कायम करें।

(७) अपने दुःखी-दर्दी पड़ोसियोंकी सहायताके लिए वे तुरन्त दौड जाय। आसपासके गाँवों में सफाईका और भंगीका काम करें और गाँवोंके बडी उमखवाले स्त्री-पुरुष-बच्चोंको पढायें।



(८) हिन्दुस्तानीका जो दोहरा स्वरूप तय हुआ है, उसके अनुसार उसकी दोनों शैलियों और दोनों लिपियोंके साथ वे राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी सीख लें।

(९) विद्यार्थी जो भी कुछ नया सीखें, उस सबको अपनी मातृभाषामें लिख लें और जब वे हर हफ्ते अपने आसपासके गाँवोंमें दौरा करने निकलें, तब उसे अपने साथ ले जायँ और लोगों तक पहुँचायें।

(१०) वे लुक-छिपकर कुछ न करें; जो करें खुल्लमखुल्ला करें। अपने हर काममें उनका व्यवहार बिलकुल शुद्ध हो। वे अपने जीवनको संयमी और निर्मल बनायें। किसी चीज़से न डरें और निर्भय रहकर अपने कमजोर साथियोंकी रक्षा करनेमें मुस्तैद रहें; और दंगोके अवसर पर अपनी जानकी परवाह न करके अहिंसक रीतिसे उन्हें मिटानेको तैयार रहें।

(११) अपने साथ पढनेवाली विद्यार्थिनी बहनोंके प्रति अपना व्यवहार बिलकुल शुद्ध और सभ्यतापूर्ण रखें।

विद्यार्थियोंके लिए मैंने जो कार्यक्रम सुझाया है, उस पर अमल करनेके लिए उन्हें समय निकालना होगा। अपने अभ्यासके समयमेंसे एक सालका समय इस कामके लिए अलग निकालें; मैं यह नहीं कहता कि एक ही बारमें वे सारा साल दे दें। अपने समूचे अभ्यासकालमें इस सालको बाँट लें और थोडा थोडा करके पूरा करें। उन्हें यह जानकार आश्चर्य होगा कि इस तरह बिताया हुआ साल व्यर्थ नहीं गया। इस समयमें की गई मेहनतके जरिये वे देशकी आजादीकी लड़ाईमें अपना ठोस हिस्सा अदा करेंगे, और साथ ही अपनी मानसिक, नैतिक और शारीरिक शक्तियाँ भी बहुत कुछ बढ़ा लेंगे।



सविनय कानून-भंगका स्थान

सविनय कानून-भंगके तीन अलग-अलग काम हैं :

(१) किसी स्थानीय अन्याय या शिकायतको दूर करनेके लिए इसका सफल प्रयोग किया जा सकता है।

(२) किसी खास अन्याय, शिकायत या बुराईके खिलाफ़ उसे मिटानेके मसले पर कोई खास असर डालनेका इरादा न रखते हुए, स्थानीय जनताको उस अन्याय या शिकायत या बुराईका भान कराने या उसके दिल पर असर डालनेके लिए कुरबानी या आत्मबलिदानकी भावनासे भी सविनय कानून-भंग किया जा सकता है। चंपारनमें यही हुआ था। वहाँ अपने कामका क्या असर होगा, इसका हिसाब लगाये बिना, और यह अच्छी तरह जानते हुए भी, कि शायद लोग जरा भी दिलचस्पी नहीं लेंगे, मैंने कानूनका सविनय भंग किया था। मेरे कामका नतीजा कुछ और ही हुआ, जो सोचा नहीं गया था। इसे अपनी रुचिके अनुसार आप ईश्वरकी कृपा या तकदीरका खेल मान सकते हैं।

(३) रचनात्मक कार्यमें जनताका पूरा सहयोग न मिलने पर उसके बदलेमें सन १९४१ में छिड़े सत्याग्रहकी तरह सविनय कानून भंगकी लड़ाई छेडी जा सकती है। अगरचे वह लड़ाई, हमारी आजादीकी संपूर्ण लड़ाईके एक हिस्सेके रूपमें उसे बल पहुँचानेके खयालसे, शुरू की गई थी, फिर भी उसे जान-बूझ कर वाणी स्वातंत्र्यके एक खास मुद्दे तक ही मर्यादित रखी गयी थी। सविनय कानून-भंगकी लड़ाई किसी एक व्यापक हेतुके लिए, मसलन पूर्ण स्वराज्यके लिए नहीं लड़ी जा सकती। लड़ाई की माँग स्पष्ट, सामनेवालेको साफ साफ समझमें आनेवाली, और उसके द्वारा पूरी की जा सकने लायक होनी चाहिए। अगर इस तरीके पर ठीकसे अमल किया जा सके, तो वह हमें ठेठ अपने लक्ष्य तक जरूर ले जाय।

उपर दिए गए पहले दो उदाहरणोंमें बड़े पैमाने पर स्वनात्मक कामकी जरूरत नहीं; न होनी चाहिए। लेकिन पूर्ण स्वराज्यकी सिद्धि के लिए सविनय कानून-भंगकी लड़ाई, रचनात्मक



कार्यक्रममें करोड़ों देशवासियोंके सहयोगके अभावमें, निरी बकवास बन जाती है; और वह निकम्मी ही नहीं, नुकासानदेह भी है।

(रचना . कार्य . २००४, पृ . ५६, ५७, ५८)



उपसंहार

अगर रचनात्मक कार्यक्रमके बिना मैं सविनय कानून भंगकी लड़ाई लड़ने लगूँ, तो वह लकवेसे बेकार बने हुए हाथसे चम्मच उठाने जैसी बात होगी।

(रचना . कार्य . २००४, पृ . ६०)



परिशिष्ट

पशु-सुधार

... गो-सेवाके विषयको भी रचनात्मक कार्यक्रममें शामिल करना चाहिए।

(रचना . कार्य . २००४, पृ. ६०)

* * * * *

